(62)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी नि/3132/III/15

इमरत पुत्र विन्दी पाल, पेशा कृषि, निवासी ग्राम लोटनपुरा टीला, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

1. महिला गिरजा पुत्री भैरों, जाति गडरिया, निवासी ग्राम टीला, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
2. मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी म.प्र.
3. राजस्व निरीक्षक, वृत्त-1, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
4. पटवारी ग्राम श्योपुरा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

S.L. Dhuldev Adv 16/9/15

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, करेरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 22/2014-15/अपील एवं न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 198/14-15/अपील आदेश दिनांक 02.09.2015</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-</u>

1. यहकि, आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 178 भू-राजस्व संहिता का ग्राम श्योपुरा, तहसील करेरा, शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 484/3, 456/1, 460/2, 461, 479/4, 483/3, 483/4, 484/1 के संयुक्त खातेदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3132–तीन/2015 जिला शिवपुरी

इमरत विरूद्ध महिला गिरजा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–9–2015	आवेदक अभिभाषक एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि बटवारे हेतु आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 21/13–14/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 21–1–2014 के द्वारा बटवारा आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 गिरजा ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने 30–10–14 को तहसीलदार द्वारा किया गया बटवारा आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की तथा पुनः बटवारे की कार्यवाही प्रचलित करने के लिए उभयपक्ष के समक्ष हिस्से एवं कब्जे कि अनुसार पुनः फर्द तैयार कर बटवारे की कार्यवाही के प्रकरण निर्धारित किया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 30–10–14 के विरूद्ध अपर आयुक्त को अपील प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 2–9–15 को यह आदेश दिया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतरिम प्रकृति का है अभी पक्षकारों के अधिकारों/हितों का	

अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं किया गया है अतः अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से समाप्त की गई। अपर आयुक्त तथा अनुविभागीय अधिकारी के दोनों आदेशों के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि उसकी निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध न होकर मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गलत निष्कर्ष निकाले गये हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

3/ अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अंतरिम आदेश मानकर अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की है, जो उचित प्रतीत होती है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कमांक 1 गिरजा सहित अन्य आवश्यक पक्षकारों को विधिवत नोटिस तामील होना नहीं माना तथा एकपक्षीय कार्यवाही पश्चात किये गये बटवारे को त्रुटिपूर्ण माना और तहसीलदार के बटवारा आदेश को निरस्त कर पुनः बटवारा कार्यवाही प्रचलित करने के आदेश दिये तथा उभय पक्षों के समक्ष हिस्से व कब्जे के अनुसार पुनः बटवारा फर्द तैयार कर बटवार की कार्यवाही दिनांक 29—11—2014 को संबंधित को सूचना के आदेश दिये। स्पष्ट है अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम प्रकृति का न होकर अंतरिम स्वरूप का है। इसी कारण अपर आयुक्त उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त किया।

चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में बटवारे की कार्यवाही लंबित है तथा वहां पुनः नये सिरे से कार्यवाही की जाना है। जहां आवेदक को भी अपना रखने का अवसर दिया जायेगा। अतः अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश में भी कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में इस निगरानी में ग्राह्यता का आधार प्रतीत नहीं होने अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य